न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः—करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 56/2018

आरसीएमएस नं. 2018/00169

दुनीराम पुत्र अर्जनराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

—अपीलांट/प्रतिवादी सं0 1

बनाम

1. तुलछाराम पुत्र अर्जनराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.01.2018

द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर

प्रकरण संख्या 116/2012 अनवान तुलछाराम बनाम दुनीराम आदि

उपस्थितिः—

श्री राजपाल झोरड़, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री विजय सिंह कड़वासरा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1

श्री राजेश कौशिक, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट सं0 2

निर्णय दिनांक 23.02.2023

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया। रोही मौजा गोरखाना के ख. नं. 60 मीन की 26 बीघा बेगराज, रामजीलाल, चन्दरगीराम पि0 टीकूराम के कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

थी, जिन्होंने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा 02.10.1977 को वादी प्रतिवादी सं0 1 को निस्फ हिस्सा चेतरम, जोतराम पि0 मनीराम जाति जाट गोरखाना को फरोख्त कर दिया एवं मौके पर कब्जा खातेदारों को संभला दिया। रोही मौजा गोरखाना के ख. नं. 26 बीघा भूमि में 1/2 हिस्सा के चेतराम, जोतराम, पि0 मनीराम खातेदार काश्तकार हुए तथा उक्त भूमि 1/2 हिस्सा के सारे हक व अधिकारी वादी व प्रतिवादी सं0 1 को हस्तान्तरित हो गये। वाद भूमि हाल पैमाईश में गोरखाना के साबिका ख. नं. 60 मीन की तादादी 26 बीघा हाल ख. नं. 150 की 24.05 बीघा में पैमूद हो चुकी है। प्रतिवादी सं0 1 ने अमल से साज बाज कर खाता तकसीम करवाने के बहाने वादी व प्रतिवादी सं0 1 दोनों की खरीदशुदा भूमि ख. नं. 150/2 की 13 बीघा रोही मोज गोरखना बिना हक अधिकार के कतई विधि विरूद्ध तरीके से अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली जबकि उक्त विवादित भूमि में उसको अकेले को कोई टिनेन्ट प्राप्त नही होते हैं। वादी व प्रतिवादी सं0 1 दोनों बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। वादी के अपने हक हिस्सा की भूमि अपने नाम दर्ज नहीं हेाने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता हैं अतः वादपत्र में वर्णितानुसार वाद भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। प्रतिवादी अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब पेश किया जिसमें प्रश्नगत भूमि को आपसी सहमति से बंटवारा किया गया होने उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने का कथन करते हुए वाद वादी खारिज करने का कथन किया। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा वाद वादी स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपना आदेश देते समय पत्रावली तथा उस उपलब्ध सबूत दस्तावेजी तथा मौखिक साक्ष्य का भली प्रकार से परिसिलन किये बिना अपना फैसला एवं डिक्री जारी करने में अहम भूल की है। वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 दोनो सगे भाई हैं वादी व प्रतिवादी सं 1 ने निस्फ हिस्सा का बंटवारा किया जाकर वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं0 1 को दे दी थी तभी से वह उक्त भूमि को काश्त करता चला आ रहा है।

Lonio

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 14.12.78 को राजस्व अभियान कैम्प कर्मशाना में वादी व प्रतिवादी सं0 1 तथा चेतराम, जोतराम ने वादग्रस्त भूमि रोही मोजा गोरखाना की 26 बीघा भूमि का बंटवारा हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया जो वादी प्रतिवादी सं0 1 व चेतराम, जोतराम की आपसी सहमति के आधार पर बाहमी बंअवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी गई जिससे प्रतिवादी सं0 1 को राही गोरखाना के ख. नं. 150/2 की 13 बीघा भूमि प्राप्त हुई है इस संबंध में खाता तकसीम करवाने बाबत प्रार्थना–पत्र वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ने सहमति से पेश किया था तथा सहमति से तजबीज खाता तकमी पटवारी हल्का से तैयार की तथा इसके बाद खाता सकसीम किया गया समस्त कागजात पर सहमति क हस्ताक्षर हैं तथा सभी ने यह स्वीकार कर सहमति से अपना खाता तकसीम करवाया था। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त जवाब दावा तथा सहमति के हस्ताक्षर सहमति पत्र आदि पत्रावली पर उपलब होने के बाद भी उन्हें सही ना मानकर कानूनी तथा तथ्य संबंधी भूल की है। राजस्व अभियान में राज्य सरकार की ओर से राजस्व अभियान में कैम्प में जाने वाले अधिकारी को लैण्ड रिकाड संबंध समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं। इसलिए उन्होंने तहसीलदार जो मौका पर कैम्प अधिकारी था के समक्ष अपना प्रार्थना–पत्र सहमति बाबत पेश किया था। सहमति के आधार पर रिकार्ड में खाता तकसीम करने का आदेश सम्पूर्ण औपचारिकता पूर्ण करने के बाद जारी किया गया है। रेस्पोडेण्ट ने सहमति के कागज को छुपाकर अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया है। अतः अपील अपलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रोही मौजा गोरखाना के ख. नं. 60 मीन की 26 बीघा बेगराज, रामजीलाल, चन्दरगीराम पि0 टीकूराम के कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि थी जिन्होंने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा 02.10.1977 को वादी व प्रतिवादी सं0 1 को निस्फ हिस्सा चेतरम, जोतराम पि0 मनीराम जाति जाट गोरखाना को फरोख्त कर दिया एवं मौके पर कब्जा खातेदारों को संभला दिया। रोही मौजा गोरखाना के ख. नं. 26 बीघा भूमि में 1/2 हिस्सा के चेतराम, जोतराम, पि0 मनीराम खातेदार काश्तकार हुए तथा उक्त भूमि 1/2 हिस्सा के सारे हक व अधिकार वादी व प्रतिवादी सं0 1 को हस्तान्तरित हो गये। वाद भूमि हाल

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

पैमाईश में गोरखाना के साबिका ख. नं. 60 मीन की तादादी 26 बीघा हाल ख. नं. 150 की 24.05 बीघा में पैमूद हो चुकी है। प्रतिवादी सं0 1 ने अमल से साज बाज कर खाता तकसीम करवाने के बहाने वादी व प्रतिवादी सं0 1 दोनों की खरीदशुदा भूमि ख. नं. 150/2 की 13 बीघा रोही मोजा गोरखना बिना हक अधिकार के करई विधि विरूद्ध तरीके से अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली जबकि उक्त विवादित भूमि में उसको अकेले को कोई टिनेन्ट प्राप्त नही होते हैं। वादी व प्रतिवादी सं0 1 दोनों बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। रेस्पोडेण्ट द्वारा खरीदशुदा भूमि को खाता विभाजन के बहाने अपने नाम से दर्ज करवाई गई है जबकि खरीदशुदा भूमि का बंटवारा या किसी प्रकार की घोषणा करने का अधिकार तहसीलदार को नहीं है। खाता विभाजन के बहाने तहसीलदार द्वारा वादी का नाम खाता से कलमजन कर दिया जिसका तहसलदार को कोई अधिकार नहीं है। वादी बैयनामा के आधार पर खातेदार काश्तकार है वादी के खरीद की गई भूमि प्रतिवादी सं0 1 क नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलांट का कथन है कि वाद भूमि का आपसी सहमति से बंटवारा कर लिया गया था जिसमें वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 को प्राप्त हुई जिसके समर्थन में तहीसलदार के द्वारा किये गये खाता विभाजन की प्रति अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई है। वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 दोनो सगे भाई हैं वादी व प्रतिवादी सं 1 ने निस्फ हिस्सा का बंटवारा किया जाकर वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं0 1 को दे दी थी तभी से वह उक्त भूमि को काश्त करता चला आ रहा है। दिनांक 14.12.78 को राजस्व अभियान कैम्प कर्मशाना में वादी व प्रतिवादी सं0 1 तथा चेतराम, जोतराम ने वादग्रस्त भूमि रोही मोजा गोरखाना की 26 बीघा भूमि का बंटवारा हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया जो वादी प्रतिवादी सं0 1 व चेतराम, जोतराम की आपसी सहमति के आधार पर बाहमी बंटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी गई जिससे प्रतिवादी सं0 1 को राही गोरखाना के ख. नं. 150/2 की 13 बीघा भूमि प्राप्त हुई है इस संबंध में खाता तकसीम करवाने बाबत प्रार्थना–पत्र वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ने सहमति से पेश किया था तथा सहमति से तजबीज खाता तकमी

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

पटवारी हल्का से तैयार की तथा इसके बाद खाता सकसीम किया गया समस्त कागजात पर सहमति क हस्ताक्षर हैं तथा सभी ने यह स्वीकार कर सहमति से अपना खाता तकसीम करवाया था। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त जवाब दावा तथा सहमति के हस्ताक्षर सहमति पत्र आदि पत्रावली पर उपलब होने के बाद भी उन्हें सही ना मानकर कानूनी तथा तथ्य संबंधी भूल की है। राजस्व अभियान में राज्य सरकार की ओर से राजस्व अभियान में कैम्प में जाने वाले अधिकारी को लैण्ड रिकाड संबंध समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं। इसलिए उन्होंने तहसीलदार जो मौका पर कैम्प अधिकारी था के समक्ष अपना प्रार्थना–पत्र सहमति बाबत पेश किया था। सहमति के आधार पर रिकार्ड में खाता तकसीम करने का आदेश सम्पूर्ण औपचारिकता पूर्ण करने के बाद जारी किया गया है। रेस्पोडेण्ट ने सहमति के कागज को छुपाकर अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.01.2018 अपास्त किये जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23.2.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/2/23

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री व सीगे अपील

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

बइजलास करतार सिंह पूनियॉ आर0ए0एस0

अपील संख्या 56/2018

आरसीएमएस नं. 2018/00169

दुनीराम पुत्र अर्जनराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

—अपीलांट/प्रतिवादी सं0 1

बनाम

1. तुलछाराम पुत्र अर्जनराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.01.2018

द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर

प्रकरण संख्या 116/2012 अनवान तुलछाराम बनाम दुनीराम आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री राजपाल झोरड़, अभिभाषक अपीलार्थी श्री विजय सिंह कड़वासरा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1, श्री राजेश कौशिक, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट सं0 2 अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.01.2018 अपास्त किये जाते हैं।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 23.02.23. को जारी की गई।

23/2/23

(करतार सिंह पूनिया) आर.ए.एस.

राजस्व अपील प्राधिकारी

हनुमानगढ

Scanned with OKEN Scanner